# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28011/19-20/ दिनांकः 21.10.2020

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
परिक्षेत्र,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय)
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषयः- सेवानिवृत कार्मिको के पेंशन प्रकरण, सेवानिवृति के एक माह के अन्दर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत ।
प्रसंग :- शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34925/पी-2/2012 दिनांक 06.05.2020, 26.05.2020, 28.05.2020, 02.07.2020, 24.07.2020, 04.08.2020, 25.08.2020, 08.09.2020 एवं 07.10.2020

---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सेवानिवृत कार्मिको के बकाया पेंशन प्रकरणो की नियमित मोनेटरिंग कर बकाया पेंशन प्रकरणो को सेवानिवृति तिथि के 02 माह के अन्दर आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए समय समय पर इस कार्यालय द्वारा आपको निर्देशित किया जाता रहा है । बकाया पेंशन प्रकरणो के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक कार्यालय स्तर पर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर नियमित मासिक बैठक कर प्रत्येक बकाया पेंशन प्रकरण पर चर्चा कर उसको समय पर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यालय द्वारा बार बार आपको निर्देशित किया जाता रहा है । साथ ही देरी के लिए पेंशन प्रकरणो में देरी के लिए दोषी अधिकारी/कार्मिको का उतरदायित्व निर्धारित करने के लिए भी आपको निर्देशित किया जाता रहा है । लेकिन इन सबके बावजूद भी आपके द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणो के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई रूचि नहीं ली जा रही है । कार्मिको के सेवाकाल में मृत्यु होने के बावजूद उनके पारिवारिक पेंशन प्रकरण उपादान (DCRG) राशि जीपीएफ, बीमा राशि व अन्य दावों का भुगतान, मृतक अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण,बकाया पेंशन प्रकरणो की नियमित मोनेटरिंग नहीं करने के कारण ही विभाग में लम्बित चल रहे है ।

हाल ही में मृत कर्मचारी के आश्रितो के फेमिली पेंशन तथा जीपीएफ/इन्श्योरेन्स आदि के भुगतान एक लम्बी अवधि गुजर जाने के बाद भी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में विधानसभा में प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है ।

इस सम्बन्ध में विभाग में बकाया पेंशन प्रकरणो के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/पेंशन-अ/34925/पी-2/2012 दिनांक 13.10.2020 के द्वारा समस्त अधीनस्थ कार्यालयो से सूचना चाही गई थी । संयुक्त निदेशक, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं जोधपुर कार्यालय से वांछित सूचना बार बार दूरभाष पर निर्देश देने के बावजूद भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । जिसके कारण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । निदेशक महोदय ने जिसे गंभीरता से लिया है । अतः वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को आज ही भिजवाई जानी सुनिश्चित करें । पांच संभागो से इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि संयुक्त निदेशक, चूरू, अजमेर, जयपुर, पाली एवं कोटा में पेंशन एवं विभाग में

.....2.....

क्रमशः 50, 43, 34, 31 एवं 18 प्रकरण बकाया है । जिसमें से अधिकांश पेंशन प्रकरण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,राजकीय उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों की उदासीनता एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में सही ढंग से मोनेटरिंग नहीं करने के कारण लम्बित रह रहे है । अतः उक्त प्रकरणो को 05 दिवस में निस्तारण करने की कार्यवाही की जावे साथ ही इस प्रकरणों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कार्मिक का उतरदायित्व निर्धारित किया जावे । इसे अति आवश्यक समझा जावे ।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बारां कार्यालय द्वारा एन.पी.एस. सेवा के कार्मिको की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन बनानें की कार्यवाही नहीं की जा रही है । जबकि वित विभाग के परिपत्र एफ. 12 (8)/एफ.डी.रूल/2008 दिनांक 09.05.2013 के अनुसार एन.पी.एस. सेवारत कार्मिक की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन देय है । अतः इस सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशन स्वीकृत न करने के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित किया जावे । इस प्रकार के बकाया प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण कराया जावे ।

जिला शिक्षा अधिकारी, पाली कार्यालय द्वारा एन.पी.एस. सेवा के 17 कर्मचारियो का राज्य एवं प्रावधायी निधि विभाग से एन.पी.एस. राशि की एन.ओ.सी. जारी नहीं होने के कारण पेंशन प्रकरणों का निस्तारण नहीं होना बताया जा रहा है । जबकि अन्य किसी भी जिले में इस कारण से कोई पेंशन प्रकरण बकाया न होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी या कार्यालय के वरिष्ठ लेखाकर्मी स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर सम्पर्क कर एन.पी.एस. सेवा के बकाया पेंशन प्रकरणों का जीपीएफ विभाग से एन.ओ.सी. जारी करवाई जाकर उक्त 17 पेंशन प्रकरणो का अविलम्ब निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जावे ।

अतः सेवानिवृत होने वाले कार्मिको के प्रकरण सेवानिवृति से 06 माह पहले ही कार्मिक के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाई जाकर पेंशन विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृति के दिन उनको पीपीओ जीपीओ सुपूर्द किया जा सके । सेवा के दौरान मृत राज्य कर्मचारियो के पारिवारिक पेंशन प्रकरण मृत्यु की तिथि से 01 माह के अन्दर आवश्यक रूप से निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें । इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियो द्वारा बकाया पेंशन प्रकरणों की नियमित मोनेटरिंग की जाकर प्रगति रिपोर्ट से प्रतिमाह इस कार्यालय को अवगत कराया जावे ।

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपनिदेशक, सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली को पृष्ठांकित कर लेख है कि बकाया पेंशन प्रकरणो के सम्बन्ध में विधानसभा में नियम 131 के तहत परिचर्चा होनी है । अतः पाली जिले के 17 पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु नियमानुसार एनओसी जारी करने की कार्यवाही शीध्र कराई जावे ।
2. प्रधानाचार्य,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रति पृष्ठांकित कर उक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी पेंशन प्रकरण कार्यालय स्तर पर 07 दिवस से अधिक अवधि तक लम्बित न रखा जावे ।
3. ए.सी.पी. कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करनें हेतु ।

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर